

70/10/09
No 4 10 09

115

समक्ष माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

अपील प्रकरण कं. /2010
A -1430-PBR/2010

: सैनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित जबलपुर द्वारा अध्यक्ष श्री घनश्याम पटैल आत्मज स्व. श्री एच.पी.पटैल पंजीकृत कार्यालय प्राइमरी स्कूल के पास सगड़ा, नागपुर रोड जबलपुर म.प्र.

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा न्यायालय कलेक्टर आफ स्टाम्प / जिला पंजीयक महाराष्ट्र व्यायाम शाला के ऊपर जयंती टॉकीज के सामने मढ़ाताल जबलपुर म.प्र.

11-10-10
अपीलार्थी
श्री घनश्याम पटैल
अधिबन्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार
17 JUN 2010
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग
प्रत्यार्थी

81


Received camp
Jabalpur.
7-10-10

अपील अंतर्गत धारा 47 क (1) भारतीय स्टाम्प अधिनियम

अपीलार्थी माननीय न्यायालय कलेक्टर आफ स्टाम्प / जिला पंजीयक जिला जबलपुर के प्रकरण कमांक 93/बी-103/48ख 2008'09 पक्षकार मध्यप्रदेश शासन बनाम श्रीमती छोटी बाई एवं सैनिक गृह निर्माण सहकारी समिति में पारित आदेश दिनांक 30-12-2009 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर निम्नलिखित अपील प्रस्तुत करते हैं कि :-

अपील के तथ्य

1- यह कि अपीलार्थी पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समिति है जिसका उद्देश्य भूमि क्रय कर अपने सदस्यों को एवं विधि अनुसार भूमि उपलब्ध कराना है । इस हेतु दिनांक 02-11-2002 को समिति ने मौजा बदनपुर तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि श्रीमती छोटी बाई उर्फ शोभारानी एवं चंदन सिंह आत्मज स्वर्गीय श्री लक्ष्मण सिंह ने पंजीकृत विक्रय पत्र से भूमि कय की तत्कालीन समय में गृह निर्माण सहकारी समितियों के क्रय व विक्रय पत्र पर स्टाम्प डियूटी की छूट होने से स्टाम्प डियूटी की छूट प्रदान की गई ।



अधीक्षक
सैनिक गृह निर्माण सहकारी समिति
जबलपुर (म.प्र.) 17/06/10

